न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–82 सन् 1984

मिथलेश्वरी देवी.....वादिनी।

बनाम

अवधेश किशोर प्रसाद व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 03.09.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 08.11.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण की ओर से आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 08 दिनेश प्रसाद की मृत्यु दिनांक 22.01.2019 को हो गई है तथा प्रतिवादी सं0 8 'ख' विरेन्द्र प्रसाद की मृत्यु दिनांक 02.02.2017 को हो गई। दोनों प्रतिवादी बाहर में रहते थे जिसके कारण समय के अंदर जानकारी नहीं हो सकी। फिदवीया वृद्ध विधवा ग्रामिण महिला है जिनको कानून की जानकारी नहीं है। जानबूझकर आवेदन देने में विलंब नहीं किया है। वादिनी आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र भी दाखिल करती है। अतः निवेदन है कि विलंब माफ करते हुए न्यायहित में प्रतिवादी सं0 08 वो 08 'ख' का नाम कलमजद कर उसके जगह पर वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा धारा 22 नियम 9 के अंतर्गत एबेटमेंट सेटएसाईट करने का दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 08 दिनेश प्रसाद दिनांक 22.01.2019 को तथा प्रतिवादी सं0 08 'ख' विरेन्द्र प्रसाद दिनांक 02.02.2017 को मृत्यु हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 08 वो 08 'ख' के कानूनी वारिसानो जो इस आवेदन में लिखित है को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया गया है। उक्त वाद के उक्त मृत प्रतिवादीगण बाहर में रहते थे जिसके कारण उनके मृत्यु की जानकारी

ससमय नहीं हो सकी। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 08 वो प्रतिवादी सं0 08 'ख' का नाम वादपत्र से कलमजद होना तथा उनके जायज वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को 2000/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत (बिहार सरकार) में जमा करें।

वाद दिनांक ..... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।